प्रश्न सं. [क्र. 947]

परिशिष्ट- ① (पेज 01 से 03 तक)

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

सं : 4 सदन में उत्तर देने का दिनांक :19/12/2024 विभाग का नाम : लोक निर्माण विभाग

विषय : पुल पुलिया का निर्माण कार्य किये जाने के संबंध में ।

(तारांकित प्रश्न क्रमांक : 947) कुअंर अभिजीत शाह

क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

प्र.क्र.	प्रश्न	उत्तर
(क)	प्रश्नकर्ता विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सिराली एवं हरदा मार्ग को जोड़ने वाले रोलगॉव पुल एवं टिमरनी से भायली के मार्ग में पड़ने वाली भायली पुलिया जो लगभग 18 माह से टूटा हुआ है इसके पुनर्निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है तथा निर्माण कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा ?	सिराली से हरदा मार्ग को जोड़ने वाला रोलगॉव पुल ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग हरदा से संबंधित नहीं है। टिमरनी से भायली मार्ग पर भायली में पड़ने वाली पुलिया जो लगभग 18 माह से टूटा पड़ा हुआ है उसका प्राक्कलन राशि 36.43 लाख का इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 260/शिकायत/ग्रा.या.सेवा/ 2024-25 हरदा दिनांक 11.06.2024 द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हरदा को प्रेषित किया गया है। स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत निर्माण संबंधी कार्यवाही की जावेगी।
(ख)	प्रश्नांश (क) में उल्लेखित दोनों पुल एवं पलिया के निर्माण कार्य किस-किस एजेंसी/ठेकेदार को प्रदान किया गया है इसकी संपूर्ण जानकारी यथा अनुबंध की प्रति कार्यादेश की प्रति शासन द्वारा जारी बजट विभाग द्वारा निर्माण एजेंसी को प्रदान की गई राशि डी.पी.आर, समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति सहित जानकारी उपलब्ध करावें ?	टिमरनी से भायली की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
(ग)	प्रश्नांश (क) में उल्लेखित दोनों पुल एवं पुलिया निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किये जाने हेतु किस स्तर पर लापरवाही बरती जा रही है इस लापरवाहों के विरुद्ध आपके विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है क्या ठेकेदार से अर्थदण्ड की वसूली की गई है एवं अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ? यदि हॉ तो क्या तथा नहीं तो क्यों ?	टिमरनी से भायली की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
(घ)	प्रश्नांश (क) में उल्लेखित दोनों पुल एवं पुलिया के निर्माण नहीं होने से विद्यार्थियों, राहगीरों, आमजन, लोकसेवकों एवं रोगी-मरीजों को आवागमन में हो रहे मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक नुकसान की भरपाई कौन करेगा इस कार्य में विलम्ब हेतु कौन उत्तरदायी है ?	टिमरनी से भायली की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
संभाग हरदा

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

वर्ग : 1 सदन में उत्तर देने का दिनांक : 19/12/2024 विभाग का नाम : लोक निर्माण विभाग

विषय : पुल पुलिया का निर्माण कार्य किये जाने के संबंध में ।

(तारांकित प्रश्न क्रमांक : 947) कुअंर अभिजीत शाह

क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

पूरक जानकारी

----00----

<u>प्रश्न क्र 01 जानकारी:-</u> सिराली से हरदा मार्ग को जोडने वाला रोलगांव पुल ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग हरदा से संबंधित नहीं है। टिमरनी से भायली मार्ग पर भायली में पडने वाली पुलिया जो लगभग 18 माह से टूटा पडा हुआ है उसका प्राक्कलन राशि 36.43 लाख का इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 260/शिकायत/ग्रा.या.सेवा/ 2024-25 हरदा दिनांक 11.06.2024 द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हरदा को प्रेषित किया गया है। स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत निर्माण संबधी कार्यवाही की जावेगी।

<u>प्रश्न क्र 02 जानकारी:-</u> टिमरनी से भायली की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>प्रश्न क्र 03 जानकारी :</u> टिमरनी से भायली की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>प्रश्न क्र 04 जानकारी :</u> टिमरनी से भायली की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
संभाग हरदा

(3)

(22)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग हरदा
Tele : 07577-222519, E-mail :- eeresharmp@nic.in

पत्र क्र. 260 /शिकायत ./ ग्रा.यां.सेवा/2024–25 हरदा, दिनांक 11/06/2024

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत हरदा

विषय :– प्राप्त शिकायत की जांच/निराकरण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में।

संदर्भ :– 1. पत्रिका न्यूज नेटवर्क में प्रकाशित खबर भायली टिमरनी के बीच टिमरन नदी पर बना रपटा हो रहा क्षतिग्रस्त के संबंध में।
2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1831/सीएमहेल्पलाईन/ग्रायासेवा/2023–24 हरदा, दिनांक 29.12.2023

—0—0—

उपरोक्त विषयातंर्गत निवेदन कर लेख है कि दिनांक 03.06.2024 को पत्रिका न्यूज नेटवर्क में प्रकाशित खबर–"भायली टिमरनी के बीच टिगरन नदी पर बना रपटा हो रहा क्षतिग्रस्त" में उल्लेख किया गया है कि भायली, लहाड़पुर व बरखेडी को नगर से जोडने वाले मार्ग पर टिमरन नदी पर बना रपटा/पुलिया कई महिनों से क्षतिग्रस्त है। इस कारण मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को हादसे का अंदेशा बना रहता है तथा ग्रामीण दुर्घटना का शिकार हो रहे है। पूर्व में शिकायतकर्ता श्री राजेश कुशवाह द्वारा उक्त क्षतिग्रस्त पुलिया के संबंध में सीएम हेल्पलाईन पोर्टल पर दिनांक 23.12.2023 को शिकायत दर्ज कराई गई थी।

उक्त शिकायत के संबंध में अधोहस्ताक्षकर्ता, सहायक यंत्री जनपद पंचायत टिमरनी एवं उपयंत्री जनपद पंचायत टिमरनी, ग्राम पंचायत सचिव/सरपंच, ग्रामवासियों तथा शिकायतकर्ता श्री राजेश कुशवाह की उपस्थिति में आवश्यक निरीक्षण दिनांक 28.12.2023 को किया गया था। निरीक्षण विवरण अनुसार– ग्राम पंचायत मनियाखेड़ी के ग्राम भायली से टिमरनी मार्ग पर टिमरन नदी पर स्थित पुलिया क्षतिग्रस्त पाई गई तथा उपस्थित ग्रामवासी एवं शिकायतकर्ता नवीन पुल निर्माण कार्य कराए जाने हेतु मांग की गई है। उक्त शिकायत मांग आधारित होने के कारण कार्यालयीन पत्र क्र 1831/सीएमहेल्पलाईन/ग्रा.यां. सेवा /हरदा, दिनांक 29.12.2023 द्वारा प्रतिवेदन तैयार कर आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु आपके समक्ष सादर प्रेषित की गई थी। संबंधित उपयंत्री द्वारा क्षतिग्रस्त पुलिया का निरीक्षण किया गया जिसके अनुसार बाक्स कलवर्ट बनाया जाना उचित होगा जिसका अनुमानित प्राक्कलन तैयार कर आपकी ओर अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नः– 1. स्थल पंचनामा
2. संदर्भित पत्र
3. प्राक्कलन

O/C

कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
संभाग हरदा
हरदा दिनांक 11/06/2024

पृ क्र. 261 /शिकायत./ ग्रा.यां.सेवा/2024–25
प्रतिलिपि :–
कलेक्टर जिला हरदा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
संभाग हरदा

O/C

जिला पंचायत हरदा

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
लोक निर्माण विभाग,
मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल